कार्यालय नगर निगम बरेली।

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनयमन) नियमावली 2024 की अधिसूचना संख्या–1464/नौ–9–2024–ई–1824886 दिनांक 26.09.2024 द्वारा असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट, भाग–4 के खण्ड–क में प्रकाशन किया गया है। नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और उ०प्र० साधारण खण्ड अधिनियम (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धितों को सूचित करने और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना से सम्बन्धित आपत्तियां एवं सुझाव यदि कोई हों तो प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप या ई–मेल आई०डी० nagarvikasanubhag9@gmail.com पर गजट प्रकाशन दिनांक 26 सितम्बर 2024 से आगामी 30 दिवस के भीतर प्रेषित किये जा सकते हैं। उक्त गज़ट नगर निगम बरेली की वेबसाईट www.nagarnigambareilly.com पर देखी व डाउनलोड किये जाने के साथ–साथ नगर निगम के नोटिस बोर्ड/कार्यालय विज्ञापन विभाग में पढ़ी व देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, बरेली।

पत्रांक– 609 /एस०टी०/न०आ०/न०नि०ब०/2024–25 दिनांक– 17.10.2024

प्रतिलिपिः–

01. सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला एंवम् दैनिक हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना को अपने समाचार पत्र में एक बार प्रकाशित कर अपना बिल डी०ए०वी०पी० दरों पर दों प्रतियों के साथ कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
02. कंप्यूटर ऑपरेटर नगर निगम बरेली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सूचना में उल्लिखित उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनयमन) नियमावली 2024 की अधिसूचना संख्या–1464/नौ–9– 2024–ई–1824886 दिनांक 26.09.2024 की एक प्रति नगर निगम की वैबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें
03. नाजिर, नगर निगम बरेली को इस निर्देश के साथ कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनयमन) नियमावली 2024 की अधिसूचना संख्या–1464/ नौ–9–2024–ई–1824886 दिनांक 26.09.2024 की एक प्रति नगर निगम कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

17/10/2024
नगर आयुक्त
नगर निगम, बरेली।

CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

संख्याः– 1464/नौ–9–2024

लखनऊः दिनांकः 26.9.2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 2 सन् 1959) की धारा 305 और 306, धारा 540 की उप धारा (1) और धारा 550 के साथ पठित धारा 314 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध मे आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियॉ और सुझाव, यदि कोई हो, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–9, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में अथवा ई–मेल आइडी nagarvikasanubhag9@gmail.com पर प्रेषित किये जायेंगे।

केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावो पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट मे प्रकाशित किये जाने के दिनाक से 30 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिह्न और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिह्न और विज्ञापनो का विनियमन) नियमावली, 2024 कही जायगी।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम मे होगा।

(3) यह सरकारी गजट मे प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(4) एक बार प्रभावी होने के पश्चात् समस्त अनुमोदन नीति के उपबधों के अनुपालन मे लिये जायेंगे। यद्यपि सबधित प्राधिकरणो द्वारा पूर्व अनुमोदित विज्ञापन सविदाए इस नियमावली के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उनकी संविदा अवधि के अवसान तक लागू रहेंगी।

परिभाषाएँ 2. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) से है;

(ख) ''विज्ञापन कर्ता/लाईसेंसधारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, नियत करने, प्रतिधारित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(ग) ''विज्ञापन चिह्न'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है, जिसमें ऐसे चिह्न अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो;

(घ) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन चिह्न के माध्यम से विज्ञापन करने से है;

(ङ) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी आलंब से बँधा हो और कपड़े आदि के किसी पताका से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(च) ''झण्डी'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है, जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं;

(छ) ''झण्डी चिह्न'' का तात्पर्य किसी चिह्न से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो;

(ज) ''समिति'' का तात्पर्य नियम 4 के अनुसार गठित तकनीकी समिति से है;

(झ) ''निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम से है;

(ञ) ''विद्युतीय चिह्न'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जा, जो चिह्नों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं;

(ट) ''शुल्क'' का तात्पर्य आकाश चिह्न और विज्ञापनों के विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक प्रभारों से है;

(ठ) ''भू–चिह्न'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

(ड) ''प्रदीप्त चिह्न'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(ढ) ''शामियाना चिह्न'' का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर

निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो;

(ण) ''प्रक्षेपित चिह्न'' का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(त) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

(थ) ''छत चिह्न'' का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो, जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित चिह्न सम्मिलित है;

(द) ''आर डब्ल्यू ए'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत रेजीडेंण्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशन से है;

(ध) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची/अनुसूचियों से है;

(न) ''अस्थायी चिह्न'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु आलंकारिक संप्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के संप्रदर्शन के लिए आशयित किसी विज्ञापन चिह्न, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढॉचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(प) ''बरामदा चिह्न'' का तात्पर्य किसी बरामदा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन चिह्न से है;

(फ) ''दीवार चिह्न'' का तात्पर्य किसी प्रक्षेपित चिह्न से भिन्न किसी ऐसे विज्ञापन चिह्न से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो;

(2) इसमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित हों।

प्रतिषेध 3. (1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित, प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित

करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एंव पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जाएगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 17 के अधीन यथा विर्निदिष्ट के सिवाय अन्य सड़कों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

तकनीकी समिति का गठन

4. (1) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट या आकाश चिह्न के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने, उन्हें जोन में विभाजित करने और उनके आकार, ऊचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए प्रत्येक निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता के अधीन एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।

(2) तकनीकी समिति में निम्नलिखित होंगेः—

(एक) नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(दो) यातायात पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) के रैंक से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी;	सदस्य
(तीन) भारतीय रेलवे का प्रतिनिधि;	सदस्य
(चार) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण;	सदस्य
(पॉच) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग;	सदस्य
(छ) सचिव, विकास प्राधिकरण;	सदस्य
(सात) नगर एवं ग्राम्य विकास विभाग का कोई अधिकारी, यदि कोई हो जो सहायक नगर योजनाकार से अनिम्न रैंक को हो/नगर नियोजन विंग/विकास प्राधिकरण विभाग का कोई अधिकारी, यदि कोई हो, जो नगर योजनाकार से अनिम्न रैंक का हो (विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट);	सदस्य
(आठ)सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न रैंक का परिवहन विभाग का कोई अधिकारी;	सदस्य
(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि;	सदस्य
(दस) निगम का मुख्य अभियंता (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट);	सदस्य
(ग्यारह) निगम का यातायात अभियंता या अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न रैंक का अधिकारी (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट);	सदस्य
(बारह) निगम के वित्त विभाग का सदस्य;	सदस्य
(तेरह) संबंधित जोन का जोनल अधिकारी;	सदस्य
(चौदह) विज्ञापन क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट);	सदस्य

(क) नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को सहयोजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(ख) महापौर द्वारा नाम निर्दिष्ट रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन और पार्षदों में से तीन सदस्यीय सलाहकार मंच गठित किया जायेगा जो तकनीकी समिति के साथ अपने सुझावों को साझा करेगा।

(3) तकनीकी समिति के कृत्य –

(क) तकनीकी समिति नियम संख्या 23 के उपबंधों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्र–आधारित जोन में विभाजित करेगी। तकनीकी समिति द्वारा नगर निगम की विद्यमान जोनल संरचना को ध्यान में रखा जाएगा। विज्ञापन जोन की कुल संख्या नगर निगम में जोन की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) प्रत्येक जोन के अधीन आने वाली विभिन्न सड़कों को उनकी विज्ञापन राजस्व क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

(ग) विज्ञापन संप्रदर्शन हेतु समिति, प्रत्येक जोन के अधीन आने वाले समस्त उपयुक्त अवस्थानों की पहचान करेगी, उनके आकार और प्रकार विनिश्चित करेगी तथा प्रत्येक अवस्थान को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगी।

(घ) समिति इन नियमों के प्रभावी होने के 90 दिनों के भीतर प्रत्येक विज्ञापन की विशिष्ट पहचान संख्या, जियो–टैग डेटा, आकार और प्रकार के साथ समस्त चयनित अवस्थानों की एक महा सूची/अनुक्रमणिका तैयार करेगी। यह सूची नगर निगम की वेबसाइट पर भी संप्रदर्शित की जाएगी।

(ङ) समिति इस सूची की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(च) नगर आयुक्त, महा सूची में सम्मिलित कुल विज्ञापन क्षेत्रों के दस प्रतिशत (10%) की सीमा तक अवस्थानों में वृद्धि या कमी सहित परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(छ) प्रत्येक विज्ञापन या आकाश चिह्न जोन का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाएगा और आधार नीलामी मूल्य/आरक्षित मूल्य अवधारित करने के लिए उसे नियत किया जाएगा। समिति आवश्यकतानुसार आधार नीलामी मूल्य का पुनर्निर्धारण और पुनरीक्षण कर सकती है।

(ज) तकनीकी समिति द्वारा चिन्हित जोन पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवंटन समिति द्वारा कम से कम दो प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित जोन के संबंध में तकनीकी समिति द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(झ) समिति, मेला, उत्सव, संगीत समारोह, कार्यशाला, जादू शो, नाटक आदि जैसे आयोजनों के दौरान अस्थायी चिह्नों/विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजक द्वारा किए गए किसी भी आवेदन के लिए अनुज्ञा संबंधी दिशा–निर्देश, विज्ञापन दरें आदि भी निर्धारित करेगी।

अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

5. (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एंव शर्तों पर प्रदान की जाएगी–

(क) सफल बोलीदाता/निष्पादक बोली अभिलेख में उल्लिखित अवस्थानों के अतिरिक्त अन्य अवस्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेगा;

(ख) विज्ञापनकर्ता अपने द्वारा विज्ञापित प्रत्येक अवस्थान का विवरण, जियो–टैग डेटा और चित्रों के साथ नगर निगम की वेबसाइट/ई–नगर सेवा पोर्टल पर या नगर आयुक्त द्वारा यथाविहित किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत करेगा;

(ग) यदि इस नियमावली के अनुसार शुल्क या प्रीमियम सहित शुल्क, निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो तब अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि तक के लिए ऐसी अनुज्ञा प्रदान की गयी हो;

(घ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्भृत किया जाएगा जैसा कि बोली दस्तावेजों में विहित हो और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नही होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट की चौड़ाई या 06 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नही होगी;

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को उचित स्थिति में रखा जाएगा और उसका उचित रख–रखाव किया जाएगा तथा कोई भी विज्ञापन युक्ति जो प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से गिर गयी हो और यातायात के संचलन में बाधा उत्पन्न कर रही हो, उसे विज्ञापनकर्ता द्वारा तुरंत हटाया जाएगा;

(च) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी;

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जायेगा;

(ज) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर विज्ञापन को हटा देगें या उसे मिटा देगें;

(झ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित, प्रदर्शित, संप्रदर्शित या परिनिर्मित किये जाएगें;

(ञ) सड़क के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों इत्यादि के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध होगी;

(ट) विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप यदि कोई भवन स्थित हो तो उसके प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जाएगा;

(ठ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी नोटिस देकर अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता पन्द्रह दिन में विज्ञापन को हटा देगा;

(ड) विज्ञापनों चिह्नों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नही होना चाहिए;

(ढ) किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ण) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिणक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष उनकी अनुमति के बिना लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी;

(त) विज्ञापनों चिह्नों एवं उनके अवलम्बों का अनुरक्षण और निरीक्षण नियम 22 के अनुसार होगा।

(थ) समस्त विज्ञापन नियम 15 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षाएं'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;

(द) विज्ञापनों चिह्नों को वृक्षों या काष्ठमय पौधों में कील से ठोका अथवा बांधा नहीं जाएगा;

(ध) विज्ञापन कर्ता इस नियमावली और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित विनियमावली का अनुपालन करेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जाएगा–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है;

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निदेश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर, किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन चिह्न या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन चिह्न परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन चिह्न या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित हो; या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन चिह्न परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

प्रीमियम 6. (1) नगर आयुक्त, समिति के साथ समन्वय करके बाजार अध्ययन करने के पश्चात प्रत्येक स्थल/जोन के लिए न्यूनतम प्रीमियम राशि नियत करेगा। नगर आयुक्त बाजार सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण के लिए किसी प्रतिष्ठित संगठन/संस्था को नियुक्त कर सकता है।

(2) आरक्षित मूल्य निम्नलिखित कारकों पर आधारित होगाः–

(क) यू0एल0बी0 निविदा आमंत्रित करने से पहले आवंटित स्थान की माप करेगा;

(ख) यू0एल0बी0 द्वारा नियत आधार मूल्य (बाजार सर्वेक्षण और मांग के अनुसार यू0एल0बी0 द्वारा नियत किया जाएगा)।

(3) तकनीकी समिति विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए अलग–अलग दरें तय करेगी, जैसे– नॉन–बैकलिट स्टेटिक, बैकलिट स्टेटिक और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक।

आवंटन समिति 7. (1) प्रत्येक निगम में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आवंटन समिति गठित की जाएगीः–

क्र.स.	अधिकारी	पदनाम
1	अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	निगम का मुख्य अभियन्ता	सदस्य
3	विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी अधिकारी जो सहायक नगर पालिका आयुक्त से अनिम्न रैंक का अधिकारी हो।	सदस्य सचिव
4	निगम के वित्त विभाग का अधिकारी	सदस्य

(क) यदि अपेक्षित हो तो नगर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा एक बाहरी सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा–

(ख) आवंटन समिति, आवेदकों की तकनीकी पात्रता और वित्तीय पात्रता दोनों को सुनिश्चित करते हुए पूर्व–योग्यता मानदंड निर्धारित करेगी।

(ग) शहर भर में सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन का प्रबंधन सीमित संख्या में अभिकरणों द्वारा किया जाएगा (प्रति जोन एक से अधिक अभिकरण नहीं)।

(2) तकनीकी समिति प्रत्येक बोली क्षेत्र के लिए कुल क्षेत्रफल के आधार पर बोली के लिए आरक्षित मूल्य नियत करेगी।

(3) जो बोलीदाता उच्चतम मूल्य जिसे प्रस्ताव मूल्य कहा जाता है की बोली लगाएगा, वह विजेता बोलीदाता/सफल बोलीदाता होगा।

(4) सफल बोलीदाता को अनुबंध मूल्य में 5% वार्षिक वृद्धि का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता के समय विस्तार के मामले में 5% वार्षिक वृद्धि की गणना अंतिम देय वार्षिक भुगतान पर की जाएगी।

उदाहरण–यदि किसी बोलीदाता ने वार्षिक प्रस्ताव मूल्य 10 करोड़ रुपये बताया है तो उसे नीचे दिए अनुसार वार्षिक भुगतान करना होगाः– वर्ष 1: 10.00 करोड़
वर्ष 2: 10.50 करोड़ और इसी प्रकार।

(5) कार्य पूरा होने के दिनांक से 90 दिवसों के भीतर प्रतिभूति निक्षेप बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(6) व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रक्रियात्मक समय के रूप में अधिकतम 60 दिवस दिए जाएंगे।

(7) अनुबंध समाप्त होने के 15 दिवसों के भीतर, ठेकेदार को समस्त व्यवस्था हटा देना होगा। ऐसा न करने पर, यू0एल0बी0 को परिसंपत्तियों को जब्त करने/हटाने की स्वतंत्रता होगी और इसे हटाने की लागत ठेकेदार पर प्रभारित की जाएगी।

(8) आवंटन समिति इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदन करेगी।

(9) उच्चतम प्रस्ताव वाले आवेदक को देय प्रीमियम धनराशि जो प्रत्येक वर्ष दो छमाही समान किश्तों में जमा की जा सकेगी, जमा करने के पश्चात अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(10) सदस्य–सचिव, समिति की सिफारिश एवं नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात अनुज्ञा आदेश जारी करेंगे।

(11) अनुज्ञा आदेश तभी जारी किया जाएगा जब विज्ञापनदाता द्वारा अनुमोदित प्रीमियम की 2% की दर से जमानत राशि निगम में जमा करा दी जाएगी।

(12) अनुज्ञा आदेश में विस्तृत जानकारी, अनुदेश और निबन्धन और शर्तें उल्लिखित की जाएंगी।

(13) प्रत्येक जोन में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए पूर्वोक्त उल्लिखित रीति से नीलामी या निविदा की जाएगी।

(14) निजी संपत्ति के स्वामी को विज्ञापन के प्रयोजन से अपनी संपत्ति/परिसर का उपयोग करने के लिए लाईसेंसधारी के माध्यम से विज्ञापन की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए और लाईसेंसधारी, नगर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन और आनुपातिक शुल्क जमा करने के पश्चात ही मंजूर करेगा या अनुज्ञा प्रदान करेगा।

आवेदनों की अस्वीकृति के आधार

8. नियम–5 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता हैः–

(क) आवेदन में अपेक्षित सूचना और ब्यौरा अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, विद्रोही या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आक्षेपणीय लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई चिह्न अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्व हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में बाधा या परिसंकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी ऐसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वॉछनीय है जिस भूमि या भवन के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर, आवेदन करने के दिनांक को असन्दत्त हो।

लाइसेंस के प्रकार

9. प्रत्येक जोन में 3 प्रकार के लाइसेंस होंगे–

(क) तकनीकी समिति द्वारा चिह्नित विभिन्न खुले स्थानों पर विज्ञापन हेतु लाइसेंस।

(ख) निजी संपत्तियों/परिसरों पर विज्ञापन के लिए लाइसेंस, (लाइसेंसधारी और संपत्ति के स्वामी के बीच करार के अनुसार) लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसे नगर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन और आनुपातिक शुल्क जमा करने पर ही मंजूर की जायेगी या अनुज्ञ प्रदान की जायेगी।

(ग) आयोजन के लिए लाइसेंस—यदि कोई आवेदक किसी आयोजन जैसे मेला, जादू शो, संगीत समारोह, संगीत गोष्ठी आदि से जुड़े अस्थायी चिह्न/विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है तो उसे नगर आयुक्त को आवेदन देकर अनुज्ञा अभिप्राप्त करना होगा।

प्रदान करने की रीति

10. (1) नियम—9 के उपनियम (1) के खण्ड (क) की दशा में किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा—

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(दो) निविदा आमन्त्रित द्वारा,

(तीन) नियम और विनियम के अनुसार विद्यमान लाइसेंस का समय विस्तार द्वारा।

(2) नियम—9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) की दशा में नगर आयुक्त कार्यक्रम के आयोजक के आवेदन पर अनुज्ञा दे सकता है।

अनुज्ञा की अवधि

11. (1) दी गई विज्ञापन अनुज्ञा की अवधि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उसके संशोधनों के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) अनुज्ञा के समय विस्तार के मामले में, लाइसेंसधारी को वर्तमान अनुज्ञा की समाप्ति से अन्यून 90 दिवस पूर्व नगर आयुक्त को समय विस्तार के लिए आवेदन करना होगा। यदि अनुमति दी जाती है, तो अनुज्ञापी को विद्यमान अनुज्ञा की समाप्ति से 10 दिवस पहले समय विस्तार दिया जाएगा, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त समझी जाएगी।

विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति

12. (1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, चिपकाया जाता है, लगाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा का कारण हो तो नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि, लाइसेंसधारी को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है—

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षति की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन चिह्न नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन चिह्न संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन चिह्न हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसेंसधारी से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

(3) यदि किसी भूमि और भवन पर लगाया गया, प्रदर्शित, स्थापित या रखा गया कोई विज्ञापन युक्ति अनधिकृत है और उप–विधियों/नीतियों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को नगर आयुक्त/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा और ऐसे अनधिकृत विज्ञापन या विज्ञापन युक्तियों को हटाने से संबंधित व्यय संबंधित लाइसेंसधारी और/या उस व्यक्ति (यदि लाइसेंसधारी द्वारा पूर्व सूचना दी गई हो) से, जो अनधिकृत विज्ञापन करता है, से मांग के माध्यम से अथवा ऐसे अनधिकृत विज्ञापन युक्ति/ संरचना के समपहरण, बिक्री और नीलामी के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

विज्ञापन पर निर्बन्धन

13. (1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लगाया नही जायेंगा, लिखा नहीं जाएगा, चित्रित नहीं किया जाएगा या लटकाया नहीं जाएगा यदि–

(क) यह आकार में 12.20 मीटर X 6.10 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2 मीटर से कम हो;

(ख) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

(ग) यह मार्ग से समानान्तर न हो या इससे वाहन या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(घ) नियम 4 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

(ङ) यह मार्ग एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर आर–पार रखा गया हो;

(च) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

(छ) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

(ज) ऐसा स्थल, इस विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो;

(झ) यह जर्जर स्थिति में हो और वर्षा या आंधी में गिरने की संभावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, यदिः—

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के मार्गाधिकार के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के वाहन मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर;

(ग) नियम 19 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के वाहन मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर;

(घ) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

(ङ) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियत्रंण के लिए परिनिर्मित किसी चिह्न, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न या व्यवधान उत्पन्न हो;

(च) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र—झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिए परिसंकटमय हो;

(छ) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

(ज) जब इनसे स्थानीय सुख सुविधाएँ प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगीः—

(क) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है;

(ख) ऐसी सघनता या चमकवाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया के प्रचालन में विघ्न पड़ता हो;

(ग) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

(4) किसी भी परिसर या भवन पर विज्ञापनः—

(क) समस्त संरचनाओं को किसी भी सरकारी पैनलबद्ध संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा;

(ख) नियम 9 के अनुसार भवन स्वामी एवं लाइसेंसधारी के मध्य उचित करार होना चाहिए;

(5) विज्ञापन का आकार—

(क) स्थैतिक प्रणाली पर विज्ञापन—विज्ञापन युक्ति की परिधि, संलग्न सड़क की चौड़ाई के 2.0 गुना से अधिक नहीं होगी और आयाम इन नियमों में विहित सीमाओं के भीतर होंगे।

(ख) बन्द दीवार पर विज्ञापन बोर्ड– बोर्ड कुल दीवार क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को आच्छादित नहीं करेगा।

(ग) छत पर विज्ञापन– ऊंचाई अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई का अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए।

(6) बीमा–

(क) लाइसेंसधारी को अपने विशेष अधिकारों, हितों और तीसरे पक्ष के प्रति देयताओं के लिए सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त करनी होगी और उसे बनाए रखना होगा।

(ख) लाइसेंसधारी को किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक शारीरिक चोट या संपत्ति को दुर्घटनावश हुई क्षति के संबंध में अपने स्वयं के व्यय पर बीमा दावा धनराशि निम्नानुसार प्रदान करनी होगी (लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई):–

मृत्यु और/या स्थायी और पूर्ण निःशक्तता के लिए –	**50,00,000/–**
आंशिक निःशक्तता के लिए –	**20,00,000/–**
परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए –	**परिसंपत्तियों को हुए नुकसान का वर्तमान मूल्य**

(7) प्रतिषिद्ध विज्ञापनों की सूची:–

(क) नग्नता;

(ख) प्रजातीय विज्ञापन या जाति, समुदाय या जातीय मतभेदों को प्रचारित करने वाले विज्ञापन;

(ग) मादक द्रव्यों, एल्कोहल, सिगरेट या तम्बाकू मदों को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन;

(घ) महिलाओं या बच्चों के शोषण को प्रचारित करने वाले विज्ञापन;

(ङ) लैगिंक भावना से ओतप्रोत विज्ञापन;

(च) पशुओं के प्रति क्रूरता दर्शाने वाला विज्ञापन;

(छ) किसी राष्ट्र या संस्था को गलत रूप में चित्रित करने वाला विज्ञापन;

(ज) किसी भी ब्रांड या व्यक्ति पर आक्षेप लगाने वाला विज्ञापन;

(झ) भारतीय विज्ञापन परिषद अथवा विधि द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन;

(ञ) हिंसा का महिमामंडन करने वाला विज्ञापन;

(ट) नाशक युक्तियाँ और विस्फोटक मदों का चित्रण;

(ठ) लॉटरी टिकट, जुआ की प्रविष्टियाँ और स्लॉट मशीनों से संबंधित विज्ञापन;

(ड) कोई भी भ्रमित करने वाला, लेजर या गतिमान प्रदर्शन;

(ढ) आयुध और संबंधित मदों (जैसे आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र के भाग और मैगजीन, गोला–बारूद आदि) का विज्ञापन;

(ण) ऐसे विज्ञापन जो मानहानिकारक, व्यवसाय अपमानलेखीय, अविधिक रूप से धमकी देने वाले या अविधिक रूप से तंग करने वाले हो सकते हैं;

(त) विज्ञापन, जो अश्लील हो सकते हैं या जिनमें अश्लील साहित्य हो सकते हैं या जिनमें स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 60, सन् 1986) के अर्थ में 'स्त्री अशिष्ट रूपण' शामिल हो सकता है;

(थ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े विज्ञापन या उन मदों, माल या सेवाओं का विवरण सम्मिलित करना जो सत्समय प्रवृत्त किसी भी लागू विधि के अधीन प्रतिषिद्ध हैं, जिनमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23, सन् 1940), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1954), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, सन् 2023) सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(द) विज्ञापन समिति द्वारा अनुपयुक्त समझी गई कोई अन्य मद।

(8) सामान्य निर्बधन

(क) कोई भी बाहय विज्ञापन सड़क से सटे हुए वहन मार्ग पर अधिक्रमण नहीं करेगा;

(ख) किसी भी विज्ञापन के लिए केवल स्थायी रूप से नियत व्यवस्था की मंजूरी होगी;

(ग) फिटिंग और फिक्सचर के लिए संरचना/डिजाइन को किसी भी सरकारी पैनलबद्ध संरचना सम्बंधी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। नगर आयुक्त इस संबंध में किसी विनिर्दिष्ट सरकारी संस्थान से भी प्रमाणन की अपेक्षा कर सकते हैं;

(घ) आधिकारिक सड़क फर्नीचर का उपयोग किसी भी विज्ञापन युक्ति की सहायक संरचना के रूप में नहीं किया जाएगा।

(ङ) उन वृक्षों के लिए ट्री गार्ड या अन्यथा पर कोई विज्ञापन की मंजूरी नहीं दी जाएगी जो स्वयं–निर्भर हैं।

(च) यदि किसी विज्ञापन युक्ति में श्रव्य सुविधा के मामले में श्रवण की मात्रा को ऐसे स्तर तक निर्बाधित रखा जाना चाहिए कि आने–जाने वालों का ध्यान भंग न हो।

(छ) किसी भी दशा में, इस नियमावली यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 192 के अनुसार छूट के अध्यधीन में उल्लिखित विज्ञापन साधनों के अतिरिक्त कोई अन्य विज्ञापन अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(ज) विज्ञापन पैनल की सहायक संरचना और सतह में चकाचौंध रोकने के लिए गैर–परावर्तक परिसज्जा होगी।

विज्ञापन चिह्नों के प्रकार

(1) विद्युत और प्रदीप्त चिह्न

14. (1) विद्युत चिह्न और प्रदीप्त चिह्न

(क) विद्युत विज्ञापन की सामग्री–जहॉ चिह्न पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त चिह्न हो, उसे छोड़कर प्रत्येक विद्युत चिह्न पट्ट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख) विद्युत चिह्नों और प्रदीप्त चिह्नों का संस्थापन– प्रत्येक विद्युत चिह्न और प्रदीप्त चिह्न को, भाग–8 भवन सेवाएं, धारा–2, विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

(2) भू–चिह्न
(3) छत चिह्न
(4) बरामदा चिह्न
(5) दीवार चिह्न
(6) प्रक्षेपित चिह्न
(7) विशेष प्रकार की छतरी चिह्न
(8) आकाशीय चिह्न
(9) विविध और अस्थायी विज्ञापन

(ग) लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त चिह्न, किसी प्रदीप्त यातायात चिह्न के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

(घ) दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी उच्चतर ऊँचाई है, पर सफेद प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश से प्रदीप्त समस्त विद्यापन चिह्न यातायात के नियंत्रण के लिए किसी चिह्न या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के विघ्न को सन्तोषजनक रूप से रोकने के लिए यथोचित रूप से प्रतिच्छादित किए जायंगे।

(ङ) गहन प्रदीप्तः– कोई व्यक्ति ऐसा कोई चिह्न परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि पार्श्वस्थ या समीपवर्ती निवासीय भवनों के निवासियों को विघ्न उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे चिह्न, जो परिनिर्माण के पश्चात नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि पार्श्वस्थ या निकट के भवनों के अधिभोगियों को विघ्न उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर यथोचित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

(च) परिचालन अवधिः– सार्वजनिक सुख–सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, नगर आयुक्त की राय में, आवश्यक चिह्न से भिन्न कोई विद्युत चिह्न, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जाएगा।

(छ) चौंधने वाला, ओझल करने वाला, और सजीवता प्रदान करने वालाः– कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन चिह्न, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(ज) विमानपत्तनों के आस–पास प्रदीप्त चिह्नों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(2) भू–चिह्न

(क) सामग्रीः चौखटों, आलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–चिह्न, नियम–15 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री के सिवाय अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख) आयामः भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक कोई भू–चिह्न परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन चिह्न के अग्रभाग या मुख भाग से ऊपर जा सकता है।

(ग) आलम्ब और स्थिरक स्थान : प्रत्येक भू–चिह्न को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। आलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट रोध हेतु संसाधित धातु के होंगे।

(घ) स्थल सफाईः किसी स्थल जिस पर कोई भू–चिह्न परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदनानुसार स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ङ) **यातायात में बाधाः** ऐसा कोई भू– चिह्न परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उससे बाहर जाने में बाधा उत्पन्न हो।

(च) **तल निर्बाधनः** समस्त भू– चिह्नों का तल आधार भूमि से कम से कम 02 मीटर ऊपर होगा किन्तु मध्यवर्ती स्थान को खुले जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से भरा जा सकता है।

(छ) भू–चित्रित चिह्न, जहॉ लागू हो वहॉ नियम 17 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(3) छत चिह्न :

(क) **सामग्रीः** नियम 15 के उपनियम (4) के सिवाय चौखटों, आलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत चिह्न को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन के उपबंध किए जाएंगे और जहॉ ज्वलनशील सामग्रियॉ, अक्षरों या अन्य अलंकारिक रूपों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकॉए उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

(ख) **आयामः** कोई छत चिह्न, ऊँचे भवनों पर निम्नलिखित ऊँचाइयों से अधिक नहीं होगाः–

क्र.स.	भवन की ऊँचाई	विज्ञापन चिह्न की ऊँचाई
(एक)	चार मंजिल या 18 मीटर से अनधिक	02 मीटर
(दो)	पांच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनधिक	03 मीटर
(तीन)	आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे चिह्नों की ऊँचाई की गणना करने में उसी भवन के विभिन्न तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों पर रखे गये चिह्नों को एक चिह्न समझा जाएगा, चाहे ऐसे चिह्न विभिन्न स्वामियों से सम्बन्धित हो।	05 मीटर

(ग) **अवस्थितिः** किसी भवन के छत पर कोई छत चिह्न, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त गमन निवारित हो। कोई छत चिह्न, किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(घ) **प्रक्षेपणः** कोई छत चिह्न भवन के विद्यमान भवन लाइन के प्रक्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के बाहर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

(ङ) **आलम्ब और स्थिरकः** प्रत्येक छत चिह्न को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में वितरित होगा।

(च) विमानपत्तनों के समीप छत चिह्नों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(छ) चित्रित छत चिह्न, नियम 15 'समस्त चिह्नों हेतु सामान्य अपेक्षॉए' जहॉ लाूग हो, के अनुरूप होंगे।

(4) **बरामदा चिह्नः**

(क) **सामग्रीः** प्रत्येक बरामदा चिह्न नियम 15 के उपनियम (4) के सिवाय पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख) आयामः कोई बरामदा चिह्न ऊॅचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा चिह्न लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नही होगा, इसके सिवाय चिह्न के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतः धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मिली मीटर से अनधिक माप वाला बरामदा वाक्स चिह्न, परिनिर्मित किया जा सकता है।

(ग) संरेखणः प्रत्येक बरामदा चिह्न, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी चिह्न को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

(घ) अवस्थितिः बरामदा चिह्न, जो लटकाने वाले चिह्न पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाये जाएंगेः—

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी रीति से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से प्रक्षेपित न हो।

(दो) बरामदा मुंड़ेर या आलंब के समक्ष किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आंलब ठोस हो और चिह्न ऐसी मुंड़ेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक प्रक्षेपित न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए चिह्न पट्टिकाओं के मामलें में बरामदा धरनों या मुंड़ेरों पर।

(ड.) लटकते हुए बरामदा चिह्नों की ऊॅचाईः किसी बरामदा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा चिह्न इस प्रकार से स्थिर किया जायेगा कि ऐसे चिह्नों का सबसे निचला भाग खड़न्जा से ऊपर 2.5 मीटर से कम न हो।

(च) प्रक्षेपणः 4(घ) में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा चिह्न, बरामदा की उस लाइन से, जिससे वह संलग्न हो, बाहर विस्तारित नहीं होगा।

(5) दीवार चिह्न :—

(क) सामग्रीः 04 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार चिह्न नियम—15 के उपनियम (4) में दिये गये 'ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग' के सिवाय अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगा।

(ख) आयामः किसी दीवार चिह्न का कुल क्षेत्रफल सड़क के सामने जिधर ऐसे चिह्न पट्टिका का सामना पड़ता हो, भवन के अग्रभाग के प्रत्येक 15 मीटर तक, 20 वर्गमीटर से अधिक नही होगा सिवाय इसके ऐसे दीवार विज्ञापन के मामलों में जिनमें नाट्यगृह या सिनेमा के नाम शामिल हैं, ऐसे चिह्न का कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार चिह्न किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगाया जायेगा जो प्रत्यक्ष सड़क के सामने न पड़ती हो, परन्तु यह कि ऐसे चिह्न या चिह्नों सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नही होंगे।

(ग) प्रक्षेपण—कोई भी दीवार चिह्न उस दीवार के जिससे वह संलग्न हो, शिखर के ऊपर या उसके अन्तिम छोर के बाहर नहीं विस्तारित होगा। किसी ऐसे स्थान पर, जहॉ पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास से होकर गुजरते हों, उससे संलग्न कोई चिह्न वहॉ से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त

नहीं होगा, जो ऐसे स्थान की सतह से 2.5 मीटर माप की ऊँचाई के भीतर होगा।

(घ) आलम्ब और संलग्नक– दीवारों से लगा प्रत्येक दीवार चिह्न सुरक्षित रूप से लगा होगा। लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू, स्टेपल्स या कील के सम्बन्ध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिरण को, लकड़ी की दीवार चिह्न के मामलें को छोड़कर, उचित स्थिरण नहीं माना जायेगा।

(6) प्रक्षेपण चिह्न

(क) सामग्रीः प्रत्येक प्रक्षेपण चिह्न और उसका आलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होगा।

(ख) प्रक्षेपण एवं ऊँचाईः कोई भी प्रक्षेपण चिह्न अपने आलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर–02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगा तथापि यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगा, किन्तु जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होता हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगा।

(ग) समस्त प्रक्षेपण चिह्नों के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिनें कोण पर होंगे। जहॉ अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहॉ भवन के समक्ष चिह्न का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नही होगा।

(घ) कोई भी प्रक्षेपण चिह्न छत की ओरी के ऊपर या भवन के अग्रभाग के उस भाग, जिससे वह संलग्न हो, के ऊपर विस्तारित नही होगा।

(ड़) किसी प्रक्षेपण चिह्न की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

(च) आलम्ब एवं संलग्नकः प्रत्येक प्रक्षेपण चिह्न किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगा होगा जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉडस, ऐंकर्स, आलम्ब, चैन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियॉ परिस्थितिवश चिह्न को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण चिह्न को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

(छ) अतिरिक्त भारः ऐसी प्रक्षेपण सम्बन्धी संरचनाऍ जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवा देने वाली युक्ति में, चाहे वह सेवा देनी वाली युक्ति के लिए विर्निर्दिष्ट रूप से बनायी गयी है या न हो, किसी व्यक्ति को संभालने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को संभालने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी मामले में कल्पित रूप से भार डालने के आलम्ब पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के आलम्ब पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और उर्ध्वाधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को संभाल सके।

(7) शामियाना चिह्नः–

(क) सामग्रीः शामियाना चिह्न पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होगी।

(ख) ऊँचाई: ऐसी चिह्न 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्‌टी से नीचे और न पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे प्रक्षिप्त होगी।

(ग) लम्बाई: शामियाना चिह्न पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी मामले में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नही होंगी।

(8) आकाश चिह्न

आकाश चिह्न की दशा में ऐसे आकाश चिह्न की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

(9) अस्थाई चिह्न, सचल सर्कस चिह्न, मेला चिह्न एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट–

14.10 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी चिह्न से भिन्न निम्नलिखित चिह्न में से कोई विज्ञापन चिह्न परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं की जाएगी–

(क) कोई ऐसा विज्ञापन चिह्न जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसा विज्ञापन चिह्न जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्‌टी, बेयरर, धरन या आलंब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसा विज्ञापन चिह्न जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्‌टी, बेयरर, धरन या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका चिह्न

(ड.) चिह्न को किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसा चिह्न जो सुरक्षित रूप से न लगा हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन चिह्न किन्तु इसके अन्तर्गत विज्ञापन पट्‌ट या अहाता के लाइसेंस प्राप्त पेपर चिह्न नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्‌टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर x 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्‌टानों या पहाड़ियों या समरूप प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्‌टिका।

(10) अस्थाई चिह्नों की आवश्यकता

(क) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिह्न सार्वजनिक समारोहों के दौरान अलंकरण नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुॅचे।

(ख) ऐसी किसी विज्ञापन चिह्न पर अंकित विज्ञापन केवल कारबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर

विज्ञापन चिह्न परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन चिह्न को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथा शीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिवस के भीतर हटा दिया जायेगा।

(ग) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन चिह्न या अलंकरण को तत्काल हटाने का आदेश यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(घ) **पोल चिह्न** : पोल चिह्न पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथा स्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ऐसे चिह्न स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है यदि वे प्रक्षेपी चिह्न के उपबन्धों के अनुकूल हो।

(ड.) **अधिकतम आकारः** अस्थाई विज्ञापन चिह्न क्षेत्रफल में 10 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(च) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये विज्ञापन तख्ता को अस्थाई चिह्नों, प्रतीकों, मनोरंजन के इश्तहार आदि के लिये प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणीः मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को विज्ञापन तख्ता से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरो के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन चिह्नों को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

समस्त विज्ञापन चिह्नों के लिए सामान्य आवश्यकताए

15. (1) **भार**–विज्ञापन चिह्न इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे ''भाग–6, संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड 1, राष्ट्रीय खण्ड–1 राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव'' में दिये गये ऑधी, डेड सेस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) **प्रदीप्ति**– कोई भी विज्ञापन चिह्न, जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों और वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के ''भाग 8, भवन सेवाएं, खण्ड 2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन'' की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी खुली चिंगारी या लौ का उपयोग प्रदर्शन उददेश्य के लिए नही किया जायेगा जब तक कि नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किया गया हो।

(3) **विज्ञापन चिह्नों की डिजाइन और अवस्थितिः** –

(क) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से न देख पाने वालों के लिए पठनीय बनाने हेतु विज्ञापन चिह्न के किनारे ब्रेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयाग किया जाना चाहिए।

(ख) किसी भी विज्ञापन चिह्न से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन चिह्नों को एकीकृत रूप में एकल किया जायेगा। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन चिह्न न लगाया जाय।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विद्यापन चिह्नों को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिये चिह्न लाइटिंग फिक्सचर से युक्त होंगे।

(ड.) सूचना चिह्न स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाये जाने चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जायेगा।

(च) जहॉ विज्ञापन चिह्नों से पैदल आवागमन में बाधा पहुॅचे वहॉ विज्ञापन चिह्नों को लगाये जाने से वर्जन किया जायेगा।

(छ) विज्ञापन चिह्न इस प्रकार लगाने चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) कोई भी विज्ञापन चिह्न किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग

(क) **अलंकारिक विशिष्टताः** ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों वा जाली के लिए जहॉ अनुज्ञा हो, और पूर्णतः अलंकारिक विशिष्टता वाले विज्ञापन चिह्नों के लिये प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(ख) **विज्ञापन चिह्न का फलकः** विज्ञापन चिह्न का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बनाया जा सकता है, परन्तु यह कि प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग पूर्णतः धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निर्बाधन के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन चिह्नों को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

जब भी कोई विज्ञापन चिह्न हटाया जाय, चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसे विज्ञापन चिह्न प्रदर्शित किये गये थे, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के समाधान पर की जायेगी। यदि विज्ञापन चिह्न के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/ यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को नुकसान पहुॅचता है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जायेगा।

(6) अनुज्ञा पत्र के विवरण का प्रदर्शन :

अनुज्ञा पत्र का विवरण और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन चिह्न पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

दुकानों पर विज्ञापन

16. (1) किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा के बगैर और देय फीस के पूर्व संदाय के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—

- यदि दुकान के नाम, बेचे जाने वाले वस्तुओं या माल के नाम, बोर्ड लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किए जाय तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना

जाएगा और वे इस नियमावली के अधीन प्रभार्य नहीं होंगे।

- यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन प्रभार्य होगी।

(2) दुकानों पर संकेतक की चौड़ाई उस दुकान की चौड़ाई से अधिक नहीं होगी जिस पर इसे प्रदर्शित किया गया है।

(3) प्रत्येक कारबार/दुकान स्वयं को केवल एक प्रावरणी संकेत तक निर्बंधित रखेगी। यद्यपि, सार्वजनिक प्रवेश द्वार के साथ पीछे, या साइड फेस वाले कारबार प्रतिष्ठान के लिए एक अतिरिक्त संकेत की मंजूरी दी जा सकेगी।

मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

17. उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:—

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन—

(क) **डिजायन** : विज्ञापन फलक की चौड़ाई केन्द्रीय छोर या पगडण्डी आदि पर सड़क प्रकाश खम्भे की अवस्थिति पर निर्भर करेगी। किसी भी मामले में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग से प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(ख) पट्ट का आकार 0.75 मीटर X 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(ग) भू—तल के ऊपर से विज्ञापन पट्ट के निचले तल तक न्यूनतम निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होगा। अतिरिक्त होर्डिंग बोर्डों अनुज्ञा अनुमति इसके ऊपर दी जा सकती है किन्तु बोर्डों के मध्य उर्ध्वाधर निकासी न्यूनतम 0.5 मी0 होगी।

(घ) निगम द्वारा फ्रेम लगाये जा सकते हैं और नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार अभिकरण द्वारा संप्रदर्शन की मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

(2) बस शेल्टरों पर विज्ञापनः

(क) **अभिकल्पः** बस शेल्टर के विज्ञापन फलक पर, क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

(ख) बस शेल्टरों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई शेल्टर की कुल लम्बाई से अधिक नहीं होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(ग) प्रत्येक बस शेल्टर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित बसों का रूट नंम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।

(घ) संबंधित लाइसेंसधारी, जिसे बस शेल्टर पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो उसे बस शेल्टर का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय—समय पर करना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों को पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापनः

नियम 13 के उप नियम (2) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने का अनुज्ञा होगा।

(4) यातायात रोटरी क्लब और आईलैण्डः

नगर आयुक्त, यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से लाइसेंसधारी को यातायात रोटरी क्लबों व आईलैण्डों के विकास व अनुरक्षण की अनुज्ञा दे सकते हैं। संप्रदर्शन पट्ट का आकार यातायात रोटरी क्लब/आईलैण्ड की अवस्थिति और आकार और यातायात की गहनता पर निर्भर करेगा किन्तु संप्रदर्शन की ऊँचाई रोटी क्लब/आईलैण्ड की ऊँचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(5) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियांः

नगर आयुक्त लाइसेंसधारी को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका अनुरक्षण करने के साथ–साथ लाइसेंसधारी को नगर आयुक्त द्वारा पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। लाइसेंसधारी रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिए आबद्धकर होगा।

(6) वृक्ष रक्षक

नगर आयुक्त लाइसेंसधारी को पौधों के चारों ओर अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख रखाव करने के साथ–साथ अनुज्ञापी को नगर आयुक्त द्वारा वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(7) पुष्पपात्र स्टैण्ड्सः

नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्पपात्र स्टैण्ड्स की व्यवस्था एवं अनुरक्षण करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 X 0.75 मीटर माप के विज्ञापन चिह्न, उसके दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु यह कि सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन चिह्न के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिएः

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

छूट 18. (1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगीः—

(क) यदि किसी कार्यालय, दुकान या प्रतिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया

गया हो।

(ख) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(ग) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(घ) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिगनल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर X 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(ड.) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(च) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(2) दीवार चिह्न : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगीः—

(क) **भण्डारण** चिह्न : किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार प्रतिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या प्रकाशित पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट**ः किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट, जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(ग) **नाम पट्ट** : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(3) भू—विज्ञापन पट्टः नीचे सूचीबद्ध भू—विज्ञापन के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगीः—

(एक) यात्रा मार्ग निर्देशः किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रखरखाव, जो यात्रा मार्ग लाइन के स्थान, किसी रेल मार्ग, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहक को निर्दिष्ट करते हों, जब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हों।

(दो) राजमार्ग विज्ञापन पट्टः सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय है, यद्यपि वे नियम—13 के उप नियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुक्त रूप से अनुरूप हों—

(क) वर्ग (1) कार्यशील विज्ञापनः

(एक) अपने शासकीय या निर्देशित कर्तव्यों के निष्पादन में किसी लोक या न्यायालयाधिकारी के

निर्देशों के द्वारा या अधीन लगाये गये या संप्रदर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश, विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसें या विज्ञापन।

उदाहरण— आगे मार्ग विभाजक

सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर दिशा संकेत यथा पेट्रोल भरने के स्टेशन, चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र।

उदाहरण— चिकित्सालय | बस स्टेशन

मुख्यतः किसी शहर, नगर, ग्राम या ऐतिहासिक स्थान, समाधि, पर्यटक रूचि स्थल से सम्बंधित चिह्न,

उदाहरण— ताज महल | लखनऊ

सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परिनिर्मित विज्ञापन चिह्न या सूचना आदि।

उदाहरण— आर्टिलरी क्षेत्र आगे

क्षेत्रफल में 0.2 मीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबंधित करने से संबंधी विज्ञापन चिह्न,

उदाहरण— निजी सम्पत्ति | अतिचारी को अभियोजित किया जाएगा

0.2 मीटर या उससे कम क्षेत्रफल के विज्ञापन चिह्न या सूचना, जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हों।

(दो) वर्ग (2) : ऐसे परिसरों से संबंधित विज्ञापन जिस पर उन्हें संप्रदर्शित किया जाय—

(एक) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किया जाए, के संबंध में पहचान, निर्देश या चेतावनी के प्रयोजन के लिये विज्ञापन, किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण— कदम पर ध्यान | मोहन लाल एवं कम्पनी की सम्पत्ति | ऊषा किरन

किसी ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में विज्ञापन, जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय, कारबार या व्यापार चला रहे हों, जहॉ ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं; और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हो और क्षेत्रफल में 0.3 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण— रामलाल एवं कम्पनी | रामलाल एवं कम्पनी

किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से सम्बन्धित या ऐसी भूमि, जिस पर ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया हो, पर

स्थित किसी होटल, सार्वजनिक गृह, डाकबंग्ला, फ्लैट ब्लाक, क्लब, छात्रावास या होटल से संबंधित विज्ञापन जो ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में क्षेत्रफल में 1.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– इंजीनियरिंग कालेज | अवकाश गृह | रोटरी क्लब

(तीन) वर्ग (3) : अस्थायी प्रकृति के विज्ञापन–

ऐसी भूमि, जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापन; ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के सम्बन्ध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित, किन्तु वह क्षेत्रफल में 0.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– किराये पर देने हेतु | विक्रय हेतु घर

सामान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुए विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित, जहॉ ऐसे सामान या पशुधन स्थित हों या जहॉ ऐसा विक्रय किया जाता हो, जो क्षेत्रफल में 1.2 मीटर से अनधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो।

उदाहरण– विक्रय इसी सप्ताह | पशु विक्रय

ऐसी भूमि, पर जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये जांय, भवन सम्बन्धी या तत्सदृश किये जाने से सम्बन्धित विज्ञापन, जो क्षेत्रफल में 0.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण– सतर्क†खुदाई प्रगति पर

किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक या मनोरंजन सम्बंधी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना, जो ऐसी गतिविधि न हो, जिसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा हो, की घोषणा करता हुआ विज्ञापन; जो किसी परिसर पर 0.6 मीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन के संप्रदर्शन तक सीमित हो।

उदाहरण– दीवाली मेला | पुष्प प्रदर्शनी

(चार) अस्थाई विज्ञापन चिह्न :

निर्माण स्थल चिह्न : निर्माण चिह्न, इंजीनियर एवं वास्तुविद के चिह्न, और अन्य समान चिह्न जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जांय।

विशेष संप्रदर्शन चिह्न : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शनों या नागरिक कल्याण के प्रोत्साहन या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो;

परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी पारिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 192 में छूट की सूची में उल्लिखित विज्ञापन इन नियमों से छूट–प्राप्त होंगे।

शासकीय कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञापन इन नियमों से छूट–प्राप्त होंगे।

विशेष क्षेत्रों की घोषणा 19. (1)निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

(2) कतिपय सड़कें या जोन केवल डिजिटल रीति से विज्ञापन हेतु अनुमन्य घोषित किये जा सकेंगे।

झण्डियों पर रोक 20. (1) कोई व्यक्ति किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी पॉच हजार रूपये से कम नहीं होगी।

(3) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनष्ट कर सकता है तथा भूराजस्व के बकाया के रूप में शास्ति वसूल सकता है।

अनुरक्षण और निरीक्षण 21. (1) **अनुरक्षणः** सभी विज्ञापन चिह्न जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, आलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ संरचनात्मक और सौन्दर्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से भली भॉति मरम्मत किये जायेंगे और जब जस्तीकरण या अनुमोदित संक्षारण प्रतिरोधी अज्वलनशील सामग्री से निर्मित न हो तो क्षरण निवारण हेतु आवश्यकतानुसार रंग रोगन किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्थाः** प्रत्येक विज्ञापन चिह्न के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा अध्यासित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) **निरीक्षणः** प्रत्येक विज्ञापन चिह्न, जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई अनुज्ञापत्र अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(4) निगम लाइसेंस द्वारा अनुपालन नियत करने हेतु नवीनतम तकनीक को अंगीकार करेगा और निगम हित की सुरक्षा के लिए नियत कालिक निरीक्षण किये जायेंगे।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति 22. (1) नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु यह कि–

(क) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा;

(ग) प्रवेश के प्रयोजन की अत्यावश्यकता से, जहॉ तक संभव हो सके, प्रविष्टि भवन या भूमि के अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथा को उचित सम्मान दिया जायेगा।

क्षेत्रों/जोन का वर्गीकरण 23. (1) विज्ञापनों पर शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय तकनीकी समिति द्वारा उपनियम–(2) में दी गयी रीति से किया जाएगा।

(2) अवस्थान संभाव्यता को समुचित रूप से प्राप्त करने के लिए जोनिंग की दो प्रणालियों को संयोजन में कार्य करने का प्रस्ताव किया जाएगा–

(क) क्षेत्र ज़ोनिंग

क्रमांक	श्रेणी	प्रकार
(एक)	ज़ोन क – विकसित और उच्च घनत्व क्षेत्र	मिश्रित उपयोग विकास के साथ केन्द्रीय स्तर पर स्थित उच्चतम विज्ञापन संभाव्यता वाले क्षेत्र जैसे प्रमुख पारगमन केन्द्र और उच्च यातायात घनत्व वाले प्रीमियम आवासीय स्थान आदि।
(दो)	ज़ोन ख – वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास	मध्यम विज्ञापन क्षमता वाला क्षेत्र, जिसमें कम यातायात घनत्व के साथ आगामी उच्चस्तरीय वाणिज्यिक और आवासीय विकास सम्मिलित है।
(तीन)	ज़ोन ग – आवासीय क्षेत्र	न्यूनतम विज्ञापन संभाव्यता और कम यातायात घनत्व वाला क्षेत्र।

(ख) सड़क ज़ोनिंग

क्रमांक	श्रेणी	प्रकार
(एक)	आर 1	उच्च विज्ञापन राजस्व संभावित सड़कें।
(दो)	आर 2	मध्यम विज्ञापन राजस्व संभावित सड़कें।
(तीन)	आर 3	कम विज्ञापन राजस्व संभावित सड़कें।
(चार)	आर 4	विज्ञापन निषिद्ध सड़कें।
(पॉच)	आर 5	केवल डिजिटल विज्ञापन सड़कें।

(3) यू0एल0बी0 जोनिंग प्रणाली में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाले विकास को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक होने पर जोनिंग की समीक्षा करेगा।

हटाये जाने की लागत 24. (1) नियम–12 में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगीः–

क्र.स.	विवरण	लागत
(एक)	6.1 मीटर x 3.05 मीटर या उससे कम के किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की लागत	50000/– रूपये
(दो)	ऊपर क्रम संख्या (एक) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत	20000/– रूपये
(तीन)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत	10000/– रूपये
(चार)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	(एक) (दो) और (तीन) के समान

(2) नगर निगम विशेष संकल्प द्वारा उपनियम (1) के अधीन लागत में समय–समय पर वृद्धि कर सकेगा।

(3) नगर आयुक्त शास्ति की धनराशि भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करेगा।

शास्ति और 25. (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से, जो आधार दर का पाँच गुना तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अपराधों का प्रशमन

(2) उप नियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को, अपराध के लिये नियम धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि शुल्क एवं शास्ति निर्धारित समय के भीतर संदन्त नहीं किया जाता है तो शुल्क को बकाया के रूप में वसूली योग्य माना जायेगा और अनुज्ञा समाप्त मानी जायेगी।

(4) **उल्लंघन दो प्रकार के होंगेः—**

(क) शमनीय— का तात्पर्य ऐसे उल्लंघन से है, जिसे नगर निगम और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मुआवजा देने के बाद प्रशमित किया जा सकता है;

(ख) गैर शमनीय—जिसका शमन नहीं किया जा सकता है और जो विश्वास भंग की प्रकृति का है।

(5) गैर शमनीय उल्लंघन को अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और किसी अन्य प्रचलित अधिनियम, नियमों आदि के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

(6) शमनीय उल्लंघन को अधिनियम के सुसंगत उपबंधों (तत्पश्चात किये गये सभी संशोधनों सहित) और किसी अन्य प्रचलित अधिनियम, नियमों आदि के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

(7) शास्ति, संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

यू0एल0बी0/सरकार के लिए समय का आरक्षण

26. (1) यू0एल0बी0 और/या सरकार के लिए सामाजिक संदेश संप्रदर्शित करने के लिए प्रति घंटे 5 मिनट का समय डिजिटल मोड के लिए निःशुल्क आरक्षित किया जाएगा।

(2) यू0एल0बी0/सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक घंटे पर विज्ञापन अधिकारों के आरक्षित मिनट प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

(3) एक महीने में 1 दिवस (एक वर्ष में अधिकतम 12 दिवस) यू0एल0बी0 और/या सरकार के लिए निःशुल्क में सामाजिक संदेश प्रदर्शित करने के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(4) विज्ञापन अधिकारों का आरक्षित दिन यू0एल0बी0/सरकार के निर्देशानुसार वर्ष के लिए प्रत्येक मास अथवा संचयी दिवसों पर होगा।

(5) अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार शक्तियां होंगी।

(6) किसी भी पक्षकार द्वारा लाइसेंस अनुबधं के किसी भी निबंधन और शर्तों को पूरा करने या पालन करने कोई विफलता या चूक प्रश्नगत पक्षकार के विरूद्ध किसी भी दावे को उत्पन्न नहीं होने देगा या उक्त समझौते का उल्लंघन नही माना जाएगा, यदि ऐसी विफलता या चूक उस पक्षकार के उचित नियंत्रण से परे, किसी भी कारण से उत्पन्न होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के, युद्ध, युद्ध जैसा संचालन, विद्रोह, दंगा, आग, विस्फोटक घटनायें सरकारी अधिनियम, सामग्री नियंत्रण विनियम या आदेश, दैवीय घटना सार्वजनिक शत्रु का कार्य, महामारी और संगरोध प्रतिबंध सम्मिलित हैः

परन्तु यह कि गैर–निष्पादित पक्ष ने दूसरे पक्ष को उन दायित्वों की शीघ्र लिखित सूचना प्रदान की हो जो वह करने में सक्षम नहीं होगा और ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित देखभाल की हो।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना जो ठेकेदार को उक्त करार के अधीन अपने दायित्वों का पालन करने से रोकती है, तीस दिनों के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो निगम उक्त लाइसेंस करार को समाप्त करने के लिए लिखित सूचना द्वारा हकदार होगा।

प्रकीर्ण नियम 27. (1) प्रवर्तन दस्ते का आकार वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर जोनल स्तर पर नगर आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(2) अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे विज्ञापन करारों के मामले में, बाद में किसी भी भ्रम से बचने के लिए नगर निगम से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(3) उच्चतम बोली लगाने वाले को 100 रुपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर एक उचित करार करना होगा।

आज्ञा से

Signed by
Amrit Abhijat
Date: 24-09-2024 14:42:34

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1464(1) /नौ-9-2024-12ज/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक-26 सितम्बर, 2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट, भाग-4 के खण्ड-क में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 100 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या- 1464(2) /नौ-9-2024-12ज/24 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

26.09.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।